दिनांकः 07.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेड़ी एवं सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा बाद पुलिस मुठभेड हत्या के मुकदमें में वांछित 01 लाख का ईनामी शातिर बदमाश घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 पिस्टल .32 बोर, 04 जिन्दा/04 खोखा कारतूस .32 बोर व 01 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/लूट/हत्या/नकबजनी/डकैती आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन आपराधिक घटनाओं में संलिप्त शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 06/07.07.2025 की रात्रि को मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी गागलहेड़ी एवं सर्विलांस टीम कोलकी टोल प्लाजा हाईवे पुल के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चैकिंग कर रहे थे, तभी यमुनानगर हरियाणा की तरफ से एक बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार 03 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिये, मोटरसाइकिल सवार सदिंग्ध बदमाश पुलिस को चैकिंग करते देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करके वापस खजुरी अकबपुर रोड़ की तरफ भागने लगे। जिस पर पुलिस टीम द्वारा बदमाशो का पीछा किया गया तो कुछ दुरी पर जाकर बदमाशों की मोटरसाइकिल फिसल कर गर गयी तथा बदमाशो द्वारा पुनः पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और जंगल की तरफ भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के दोनों पैरो में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया तथा घायल बदमाश के दोनो अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की तरफ भाग गये । घायल/गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान **अरमान उर्फ सिप्पी पुत्र जकशीर निवासी ग्राम चौटाला थाना डबाली सदर जनपद सिरसा (हरियाणा) हाल पता नरेन्द्र होम्स थाना सिंगरिया जनपद हनुमानगढ़ (राजस्थान)** के रूप में हुई । घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फरार बदमाशो की गिरफ्तारी हेतु लगातार कॉम्बिंग की जा रही है । गिरफ्तार/घायल **अभियुक्त के कब्जे से 01 पिस्टल .32 बोर, 04 जिन्दा /04 खोखा कारतूस .32 बोर व 01 बिना नम्बर की काले रंग की स्पलेण्डर मोटरसाइकिल बरामद** हुए । गिरफ्तार अभियुक्त **शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है, जिसके विरुद्ध पंजाब व हरियाणा में रंगदारी व एनडीपीएस के मुकदमें दर्ज** है । गिरफ्तार/घायल बदमाश थाना गागलहेड़ी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 02/2025 धारा 103(1)/332(सी)/61/191(2)/191(3)/190 बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में वांछित चल रहा था। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गागलहेड़ी पर मु0अ0स0-124/25 धारा 109(1)/317(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। दिनांक 10.01.2025 को थाना गागलहेड़ी पुलिस द्वारा पूर्व में मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त विकास उर्फ विक्की पुत्र प्रदीप निवासी ग्राम राजौन्द थाना राजौन्द जिला कैथल हरियाणा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि करीब 6 माह पूर्व मैने व मेरे चार अन्य साथियों ने मिलकर प्रोपर्टी व पैसो के लेनदेन को लेकर हुए विवाद के कारण एक योजना के तहत गागलहेडी में रहने वाले सुरेश राणा उर्फ काका की उसके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी । पूर्व में हमारे एक साथी

विकास उर्फ विक्की को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हम मुकदमा वादिया व उनके परिवारजन पर फैसले के लिये दबाव बना रहे थे। आज भी हम उपरोक्त वादिया पर मुकदमा वापस लेने के सम्बन्ध मे दबाव बनाने के लिये आ रहे थे कि रास्ते में आप लोगो ने मुझे पकड लिया व मेरे दो अन्य साथी मौके से फ़रार हो गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अरमान उर्फ दीपू उर्फ सिप्पी पुत्र जगसीर सिंह निवासी ग्राम सालीवाला चोड चोटाला थाना डबवाली सदर जिला सिरसा हरियाणा हाल पता फ्लैट नं0-16 नरेन्द्र फोम्स ग्राम रतनपुरा थाना संगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 अवैध पिस्टल .32 बोर
- 04 जिन्दा कारतूस .32 बोर
- 04 खोखा कारतूस .32 बोर
- 01 मोटर साईकिल स्पलैण्डर रंग काला बिना नम्बर प्लेट

अभियुक्त अरमान उर्फ दीपू उर्फ सिप्पी का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 002/25 धारा 191(2),191(3),109,103(1) 332(सी) 61 बीएनएस थाना गागलहेडी सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 114/2024 धारा 21 बी 61/85 एनडीपीएस एक्ट थाना डबवाली सदर जनपद डबवाली राज्य हरियाणा
3. मु0अ0स0 436/2024 धारा 21बी 61/85 एनडीपीएस एक्ट थाना डबवाली सदर जनपद डबवालीराज्य हरियाणा
4. मु0अ0स0 41/2023 धारा 21 बी 61/85 एनडीपीएस एक्ट थाना डबवाली सदर जनपद डबवाली हरियाणा
5. मु0अ0स0 171/24 धारा 140(3)/309(2)/324(4) 351(2)/351(3)/3(5) बीएनएस नहियावाला जनपद भटिण्डा(पंजाब)
6. मु0अ0स0 100/25 धारा 308(2)/308(4) बीएनएस चालानी थाना राजोंद जिला कैथल हरियाणा
7. मु0अ0स0- 124/25 धारा 109(1)/317(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गागलहेड़ी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री प्रवेश कुमार थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री सौरव यादव थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 831 सोनू ढाका थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
5. है0का0 80 सोनू शर्मा सर्विलांस सैल सहारनपुर।
6. है0का0 270 मोहित सर्विलांस सैल सहारनपुर।
7. है0का0 570 सुमित सर्विलांस सैल सहारनपुर।
8. है0का0 844 विनीत कुमार सर्विलांस सैल सहारनपुर।
9. है0का0 24 सुनील तोमर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 07.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 07.07.2025 को 01 वारण्टी अभियुक्त **अफजाल पुत्र शकूर निवासी मौ0 नूरबस्ती गैस गोदाम वाली गली के सामने थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** (सम्बन्धित वाद स0-3338/24, मु0अ0स0- 95 /05 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना कोतवाली नगर, माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0- तृतीय) मौ0 नूरबस्ती से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अफजाल पुत्र शकूर निवासी मौ0 नूरबस्ती गैस गोदाम वाली गली के सामने थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।
2. है0का0 862 विपिन मान थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।
3. का0 1342 कपिल कुमार थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 07.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से 11.25 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व इस कारोबार में संलिप्त शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त **अमजद पुत्र जहीर निवासी ग्राम खिडका भटकव्वा थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को ग्राम बेलका के पास से गिरफ्तार किया गया ।जिसके कब्जे से 11.25 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0- 291/25 धारा- 8/21 एनडीपीएस पंजीकृत किया गया।गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया की मैं कम पढा लिखा हूँ व मजदूरी का कार्य करता हूँ। कम समय में अधिक रुपये कमाने के लिये मैं स्मैक सस्ते दाम में खरीदकर अधिक कीमत बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।आज जब मैं स्मैक बेचने जा रहा था तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

अमजद पुत्र जहीर निवासी ग्राम खिडका भटकव्वा थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी-

- 11.25 ग्राम नाजायज स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री बलराम सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. का0 2183 संजू सैम थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. का0 1835 मनजीत सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. का0 1767 पिंकरपाल थाना बेहट जनपद सहारनपुर

दिनांकः 07.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी/ अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 07.07.2025 को 03 वारण्टी/अभियुक्तगण **1.मुनेश पुत्र विशम्बर 2.राजेन्द्र पुत्र मदनपाल 3.राजकुमार पुत्र कर्म सिंह निवासीगण ग्राम साहबा माजरा थाना नकड जनपद सहारनपुर** संबंधित वाद संख्या 2991/2025 एन0सी0आर0 45/2014 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 निर्गत मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रैट तृतीय सहारनपुर को उनके घर से गिरफ्तार किया गया ।गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. मुनेश पुत्र विशम्बर निवासी ग्राम साहबामाजरा थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. राजेन्द्र पुत्र मदनपाल निवासी ग्राम साहबामाजरा थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. राजकुमार पुत्र कर्म सिंह निवासी ग्राम साहबामाजरा थाना नकुड जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री शौकीन खान थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री ओमेन्द्र मलिक थाना नकुड जनपद सहारनपुर

दिनांक- 07.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 08.06.2025 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त ऋतिक सैनी पुत्र मुकेश निवासी ग्राम टाण्डा मिश्री थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर द्वारा वादिया को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0स0 116/25 धारा 69 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, महिलाओं के विरुद्ध होने वाली आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **ऋतिक सैनी पुत्र मुकेश सैनी निवासी ग्राम टाण्डा मिश्री थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर** को बड़कला फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

ऋतिक सैनी पुत्र मुकेश सैनी निवासी ग्राम टाण्डा मिश्री थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 शुभम चौधरी थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. उ0नि0 अनिल तेवतिया थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. का0 2214 कुमरपाल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. का0 2217 दीपक कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर